परिशिष्ट "अ" [24/3/2021]

प्रश्न सं. [क. 6372]

कार्यालय कमिश्नर जबलपुर संभाग, जबलपुर

आदेश

जबलपुर, दिनांक

क्रमांक— [illegible] क्यू/वि0जा0/2020— कलेक्टर छिंदवाड़ा के पत्र क्रमांक 6816/शिक्षा/2019 दिनांक 07/12/2019 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क0 2574 क्यू/वि0जा0/2019 दिनांक 07/12/2019 द्वारा श्रीमती चन्द्रकला सातनकर प्राचार्य कन्या शिक्षा परिसर जुन्नारदेव जिला छिंदवाड़ा को निलम्बित किया जाकर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय के ज्ञापन क0 12/क्यू/वि0जा0/2020, दिनांक 02/01/2020 द्वारा आरोप पत्रादि जारी कर उत्तर चाहा गया ।

2— श्रीमती सातनकर ने अपने उत्तर में लेख किया है कि वर्तमान में कन्या शिक्षा परिसर जुन्नारदेव में 245 सीट स्वीकृत होकर 222 बालिकायें निवासरत होकर अध्ययनरत है । छात्रा कु0 निशा पिता मदनलाल धुर्वे पिछले सत्र 2018—19 में कक्षा नवमी की परीक्षा समाप्ति उपरांत फरवरी में अपने गृह ग्राम चली गई तथा वर्तमान सत्र 2019—20 में कक्षा 10वी में प्रवेश हेतु जुलाई 2019 को संस्था में उपस्थित हुई । छात्रावास के अन्तेवासी छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण के अनुक्रम में दिनांक 28/8/2019 को कन्या शिक्षा परिसर में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी श्री रूपेश सिंह एवं नर्स द्वारा छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया । परीक्षण उपरांत न तो मुझे अथवा अधीक्षिका या अन्य कर्मचारियों को कु0 निशा धुर्वे के संबंध में किसी भी प्रकार की मौखिक एवं लिखित जानकारी उपलब्ध करायी । दिनांक 5/1/2019 को रात के समय पेट में दर्द होने के कारण अधीक्षिका एवं महिला चौकीदार के द्वारा निकटतम चिकित्सालय में भर्ती कराया गया तथा रात्रि 10 बजे मुझे सूचना दी गई । मैं तत्काल चिकित्सालय पहुंची मेरे पहुंचने के पूर्व ही कु0 निशा का प्रसव हो चुका था जिसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारी को दी गई । आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा जारी परिपत्र अनुसार प्रत्येक हास्टल के लिये जिला/विकासखण्ड स्तर पर एक चिकित्सा अधिकारी को प्रभारी अधिकारी बनाया जावेगा जो ए0एन0एम0/एल0एच0के सहयोग से जिसमें एक महिला चिकित्सक का होना अनिवार्य है, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण /बुलाया जाना/अन्तेवासी की बीमारी की दशा में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायेगें । श्रीमती सातनकर के उत्तर पर कलेक्टर छिंदवाड़ा ने पत्र क0 547, दिनांक 31/1/2020 द्वारा अभिमत प्रस्तुत किया जिसमें लेख किया गया कि श्रीमति सातनकर, प्राचार्य, कन्या शिक्षा परिसर का दायित्व है कि छात्रों पर नियंत्रण रखे स्वास्थ्य परीक्षण कराये तथा अन्य समस्याओं का समाधान करें ।

3— प्रकरण का परीक्षण किया गया । छात्रा कु0 निशा धुर्वे सत्र 2018—19 में कक्षा नवमी की परीक्षा समाप्ति उपरांत अपने गृह ग्राम, घर गयी थी और सत्र 2019—20 में जुलाई 2019 को संस्था में उपस्थित हुई जिसमे स्पष्ट है कि घटना कन्या छात्रावास परिसर के बाहर हुई है .

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट | ञ

अधीक्षिका / या अन्य किसी महिला शिक्षिका द्वारा प्राचार्य श्रीमती सातरकर को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है ।

4— श्रीमती सातनकर को समक्ष को दिनांक 04/03/2020 को समक्ष में सुना गया उनके द्वारा समक्ष में किये गये अभिकथन, कलेक्टर से प्राप्त अभिमत तथा जपकारी अधिकारी के उत्तर का परिशीलन किया गया । उपरोक्त कंडिका 3 के परीक्षण से स्पष्ट है कि घटना कन्या शिक्षा परिसर के बाहर शासकीय अवकाश के दौरान छात्र के निजी ग्राम/घर पर हुई परन्तु इसके पश्चात छात्रावास का नियमित निरीक्षण तथा स्वास्थ्य परीक्षण कराने का दायित्व प्राचार्य का होता है । अतः श्री खातनकर का उत्तर पूर्णतः समाधानकारक नहीं होने से म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण अपील) नियम 1966 के नियम–10(4) के तहत आगामी एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित करते हुये निलम्बन से बहाल किया जाता है इनकी पदस्थापना यथावत शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दमुआ विकास खण्ड जुन्नारदेव जिला छिंदवाडा (म0प्र0) के पद पर की जाती है । निलम्बन अवधि समस्त प्रयोजन हेतु कर्त्तव्य अवधि मान्य की जाकर एतद्द्वारा प्रकरण समाप्त किया जाता है ।

6/3/2020

(रवीन्द्र कुमार मिश्रा)
कमिश्नर,
जबलपुर संभाग

पृष्ठांकन क्रमांक डी0वि0/वि0जां/2020 जबलपुर,दिनांक 7/3/2020

प्रतिलिपि :–

1— सचिव, म0प्र0 शासन, जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2— आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3— कलेक्टर छिंदवाडा की ओर आदेश की अतिरिक्त प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया संलग्न आदेश की अतिरिक्त प्रति श्रीमती सातनकर ने अपने उत्तर में लेख किया है कि वर्तमान में कन्या शिक्षा परिसर जुन्नारदेव को तामील कराकर पावती तत्काल इस कार्यालय को भेजे ।
4— संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य विभाग जबलपुर ।
5— सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग छिंदवाडा ।
6— श्रीमती सातनकर ने अपने उत्तर में लेख किया है कि वर्तमान में कन्या शिक्षा परिसर जुन्नारदेव की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

संलग्न – अनुक्रमांक–2 के लि

(रवीन्द्र कुमार मिश्रा)
कमिश्नर
जबलपुर संभाग

Scanned with CamScanner